

Text & Context

THE HINDU

भविष्य की सुरक्षा के लिए असहमति

न्यायमूर्ति पंचोली की पदोन्नति पर सर्वोच्च न्यायालय की एकमात्र महिला न्यायाधीश की असहमति बहुआयामी है। यह केवल इस बात पर केंद्रित नहीं थी कि अन्य वरिष्ठ महिला उच्च न्यायालय न्यायाधीश भी थीं। उनकी आपत्तियाँ उन मानदंडों से भी संबंधित थीं जिन पर कॉलेजियम को पदोन्नति के लिए किसी उम्मीदवार का मूल्यांकन करते समय विचार करना होता है।

LETTER & SPIRIT

Krishnadas Rajagopal

न्यायमूर्ति विपुल मनुभाई पंचोली को शीर्ष न्यायालय में पदोन्नत करने के प्रस्ताव के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना द्वारा व्यक्त की गई असहमति, न्यायालय के भविष्य और न्यायिक नियुक्तियों की कॉलेजियम प्रणाली की विश्वसनीयता की रक्षा हेतु एक अपील थी।

न्यायमूर्ति नागरत्ना ने अपने नोट में भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) बी.आर. गवई से अग्रह किया कि वे सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम के प्रमुख और न्यायिक बिरादरी के एक वरिष्ठ सदस्य के रूप में यह ध्यान रखें कि वर्तमान में लिए गए निर्णयों का भविष्य के न्याय प्रशासन पर प्रभाव पड़ेगा। उनकी असहमति को न्यायालय के अपने इस सिद्धांत से बल मिला कि न्यायिक नियुक्तियाँ अन्य सत्ता केंद्रों के भय से मुक्त होनी चाहिए। न्यायिक नियुक्तियों में कार्यपालिका का हस्तक्षेप, जैसा कि न्यायमूर्ति मदन बी. लोकुर ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के फैसले में लिखा था, न्याय प्रशासन को पंगु बना देगा, क्योंकि सरकार "बेशर्मी से देश की सबसे बड़ी वादी" है।

असहमति ने संकेत दिया कि भारत के मुख्य न्यायाधीश बनने योग्य न्यायाधीशों की सिफारिश करते समय, मानदंड "बहुत ऊँचे" रखे जाने चाहिए क्योंकि वे भावी पीढ़ी में न्यायपालिका की स्वतंत्रता के रक्षक बनते हैं। न्यायमूर्ति पंचोली, जिन्होंने 29 अगस्त को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी, 2031 में मुख्य न्यायाधीश बनने की कतार में हैं।

अकेला स्वर

सर्वोच्च न्यायालय की एकमात्र महिला न्यायाधीश की असहमति बहुआयामी है। यह केवल इस बात पर केंद्रित नहीं थी कि न्यायमूर्ति पंचोली से वरिष्ठ अन्य महिला उच्च न्यायालय न्यायाधीश भी थीं। उनकी आपत्तियाँ उन मानदंडों को छूती थीं जिन पर कॉलेजियम को पदोन्नति के लिए किसी उम्मीदवार का मूल्यांकन करते समय विचार करना होता है। 11 जुलाई, 2024 के एक कॉलेजियम प्रस्ताव में विचाराधीन न्यायाधीशों के लिए इन मानदंडों को सूचीबद्ध किया गया था - न्यायाधीशों द्वारा लिखे गए निर्णयों और प्रदर्शन द्वारा प्रदर्शित योग्यता; सत्यनिष्ठा; क्षेत्र, लिंग और समुदाय के संदर्भ में विविधता



हड़ता से खड़े रहें: न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना 2024 में बेंगलुरु में। के. भाग्य प्रकाश

सुनिश्चित करने की आवश्यकता; और समुदाय के हाशिए पर और पिछड़े वर्गों को शामिल करने की आवश्यकता।

कॉलेजियम में 4:1 के मत विभाजन की ओर ले जाने वाली घटनाओं की श्रृंखला 25 मई, 2025 की याद दिलाती है, जब मुख्य न्यायाधीश गवई ने न्यायमूर्ति पंचोली की शीर्ष अदालत में उम्मीदवारी का विषय उठाया था। कहा जाता है कि न्यायमूर्ति नागरत्ना ने मौखिक रूप से अपनी असहमति व्यक्त की थी। ऐसा प्रतीत होता है कि गुजरात उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विक्रम नाथ ने भी इस प्रस्ताव पर आपत्ति जताई थी। न्यायमूर्ति अंजारिया, जो गुजरात उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति पंचोली से वरिष्ठ थे, की अगले दिन सिफारिश की गई। न्यायमूर्ति अंजारिया ने मई 2025 में वरिष्ठता और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, दोनों के मानदंडों को पूरा किया था। लेकिन न्यायमूर्ति पंचोली, जो इस वर्ष 21 जुलाई से पटना के मुख्य न्यायाधीश थे, को शीर्ष अदालत में पदोन्नत करने का प्रस्ताव अगस्त में फिर से सामने आया। इस बार, न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कथित तौर पर एक लिखित असहमति दर्ज की, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और उनके अन्य कॉलेजियम सहयोगियों से उन "गंभीर और गंभीर-चिंताओं" पर विचार करने का अनुरोध किया गया, जिनके कारण कॉलेजियम ने जुलाई 2023 में न्यायमूर्ति पंचोली को गुजरात से पटना उच्च न्यायालय स्थानांतरित किया था। न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा कि स्थानांतरण का निर्णय न्यायमूर्ति एम.आर. शाह, न्यायमूर्ति नाथ, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार के साथ परामर्श के बाद उचित विचार-विमर्श के बाद लिया गया था।

न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कॉलेजियम से 2023 में स्थानांतरण की सिफारिश करने वाली बैठक के कार्यवृत्त मंगवाने और उनका अवलोकन करने का अनुरोध किया। उन्होंने पूछा कि वकीलों के एक प्रतिनिधिमंडल ने न्यायमूर्ति शाह की उपस्थिति में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ (अब सेवानिवृत्त) से मुलाकात क्यों

की और स्थानांतरण की वकालत की। न्यायमूर्ति नागरत्ना ने उन कारणों की मांग की जिनके कारण न्यायमूर्ति नाथ ने न्यायमूर्ति पंचोली को फटकार लगाई, जबकि न्यायमूर्ति पंचोली गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे।

न्याय के प्रतिकूल

सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश ने अपनी असहमति में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया कि न्यायमूर्ति पंचोली को पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने के प्रस्ताव पर न्यायमूर्ति पारदीवाला (गुजरात उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश) की राय नहीं ली गई थी। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऑनलाइन पोस्ट किए गए 41 पृष्ठों के दस्तावेज, जिसका शीर्षक 'उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति' है, में 'सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की भूमिका' नामक एक खंड है, जिसका पहला सिद्धांत यह है कि "भारत के मुख्य न्यायाधीश कॉलेजियम के बाहर, सर्वोच्च न्यायालय के उन न्यायाधीशों की राय लेते हैं जो संबंधित उच्च न्यायालय के मामलों से परिचित हैं।"

उन्होंने कथित तौर पर न्यायमूर्ति पंचोली, जो अखिल भारतीय वरिष्ठता में 57वें स्थान पर थे, की सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नति पर आपत्ति जताई थी, यह कहते हुए कि यह न्याय प्रशासन के लिए "प्रतिकूल" साबित होगा और कॉलेजियम की विश्वसनीयता को खतरों में डालेगा। न्यायमूर्ति नागरत्ना, जो स्वयं 2027 में भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनने की दौड़ में हैं, ने इस बात पर संदेह जताया कि क्या न्यायमूर्ति पंचोली का 3 अक्टूबर, 2031 से 27 मई, 2033 तक मुख्य न्यायाधीश पद पर बने रहना संस्थान के हित में होगा।

न्यायमूर्ति नागरत्ना ने संभवतः यह भी पूछा कि क्या गुजरात उच्च न्यायालय से तीसरे न्यायाधीश की आवश्यकता है, क्योंकि न्यायमूर्ति पारदीवाला, जो मुख्य न्यायाधीश पद की दौड़ में हैं, और न्यायमूर्ति अंजारिया पहले से ही सर्वोच्च न्यायालय की पीठ में हैं। उन्होंने यह मुद्दा उठाया कि कई उच्च न्यायालयों का शीर्ष न्यायालय में प्रतिनिधित्व नहीं है या उनका प्रतिनिधित्व अपर्याप्त है। प्रतिनिधित्वविहीन उच्च न्यायालयों में जम्मू-कश्मीर, उड़ीसा, झारखंड, सिक्किम, मेघालय, त्रिपुरा और उत्तराखंड शामिल हैं। असहमति पत्र में कहा गया है कि न्यायमूर्ति पंचोली से वरिष्ठ कई मेधावी न्यायाधीश हैं जिनकी कॉलेजियम शीर्ष न्यायालय के लिए सिफारिश कर सकता है।

THE GIST



न्यायमूर्ति नागरत्ना ने अपने नोट में मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई से अग्रह किया कि वे यह ध्यान रखें कि वर्तमान में लिए गए निर्णयों का भविष्य के न्याय प्रशासन पर प्रभाव पड़ेगा।



उन्होंने कथित तौर पर न्यायमूर्ति पंचोली को सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत करने पर आपत्ति जताते हुए कहा कि यह न्याय प्रशासन के लिए "प्रतिकूल" साबित होगा और कॉलेजियम की विश्वसनीयता को खतरा होगा।



सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश ने अपनी असहमति में स्पष्ट रूप से कहा कि न्यायमूर्ति पंचोली को पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने के प्रस्ताव पर न्यायमूर्ति पारदीवाला (गुजरात उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश) की राय नहीं ली गई थी।

स्वदेशी रूप से विकसित मस्तिष्क उपकरण 'सेरेबो' क्या है?

दर्दनाक मस्तिष्क चोटें कैसे होती हैं? यह उपकरण ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से उपयोगी क्यों होगा?

Bindu Shajan Perappadan

अब तक की कहानी:

सेरेबो एक नया, हाथ में पकड़ने योग्य, पोर्टेबल, गैर-आक्रामक मस्तिष्क क्षति निदान उपकरण है, जिसे भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर), चिकित्सा उपकरण एवं निदान मिशन सचिवालय (एमडीएमएस), एस्स भोपाल, निमहंस बेंगलुरु और बायोस्केन रिसर्च के सहयोग से विकसित किया गया है। इस उपकरण का उपयोग अभिघातजन्य मस्तिष्क क्षति (टीबीआई) के लिए किया जाएगा और यह एक मिनट के भीतर मस्तिष्क के अंदर रक्तस्राव और सूजन का पता लगा सकता है। यह शिशुओं और गर्भवती महिलाओं के लिए सुरक्षित है, और इसका उपयोग पैरामेडिक कर्मचारियों के साथ-साथ अकुशल कर्मियों द्वारा भी किया जा सकता है।

यह उपकरण क्यों महत्वपूर्ण है?

उन स्थितियों में एक विकल्प के रूप में उपलब्ध, जहाँ सीटी या एमआरआई स्कैन जैसे उन्नत निदान उपकरण उपलब्ध नहीं हैं या देरी से उपलब्ध हैं, सेरेबो रंग-कोडित, विकिरण-मुक्त और लागत प्रभावी परिणाम प्रदान करता है।

यह उपकरण एम्बुलेंस, ट्रॉमा सेंटर, ग्रामीण क्लीनिक और आपदा प्रतिक्रिया इकाइयों में तेजताती के लिए डिज़ाइन किया गया है और इसका उद्देश्य प्रारंभिक TBI का पता लगाना और रोगी के परिणामों को बेहतर बनाना है। ICMR के अनुसार, CEREBO का नैदानिक सत्यापन, नियामक अनुमोदन और व्यवहार्यता अध्ययन हो चुके हैं, जिससे आपातकालीन और सैन्य स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों में वैश्विक स्तर पर इसे अपनाने का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

ICMR ने आगे बताया कि प्रमुख ट्रॉमा केयर और न्यूरोसर्जिकल केंद्रों में बहु-केंद्रीय नैदानिक प्रदर्शन मूल्यांकन और उपयोगिता परीक्षण किए गए ताकि निदान सटीकता, निर्णय लेने में लगने वाले समय के लाभ और आपातकालीन देखभाल मार्गों में एकीकरण व्यवहार्यता पर संभावित साक्ष्य जुटाए जा सकें। ICMR-MDMS द्वारा समर्थित बाज़ार-पश्चात निगरानी ने आगे के न्यूरोलॉजिकल आकलन के लिए रोगियों को प्रभावी ढंग से वर्गीकृत करने के एक उपकरण के रूप में उपयोगकर्ता द्वारा इसे अपनाने में इसकी भूमिका की पुष्टि की। स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी आकलन ने सीटी स्कैन में तेजी लाने, प्राथमिकता निर्धारण को अनुकूलित करने और

इमेजिंग लागत को कम करने के लिए तृतीयक देखभाल में इस उपकरण को अपनाने की भी सिफारिश की।

टीबीआई क्या है?

टीबीआई एक गंभीर जन स्वास्थ्य चुनौती है, खासकर आपातकालीन स्थितियों, ग्रामीण क्षेत्रों और वंचित आबादी में। ग्लासगो कोमा स्केल (जीसीएस) जैसी पारंपरिक निदान पद्धतियों में त्रुटियाँ और व्यक्तिपरक व्याख्याएँ होने की संभावना अधिक होती है, जबकि इमेजिंग तकनीकों के लिए विशेष बुनियादी ढाँचे, प्रशिक्षित कर्मियों की आवश्यकता होती है और ये महंगी भी होती हैं। इसी समस्या के समाधान के लिए मशीन लर्निंग द्वारा संचालित उन्नत निकट-अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी तकनीक का उपयोग करके CEREBO विकसित किया गया है।

टीबीआई एक ऐसी स्थिति है जो सिर पर अचानक आघात या चोट लगने के कारण होती है, जिससे मस्तिष्क का सामान्य कार्य बाधित हो जाता है। यह चोट हल्की (मस्तिष्क आघात) से लेकर गंभीर तक हो सकती है, जिसके परिणामस्वरूप अक्सर दीर्घकालिक शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और व्यवहार संबंधी विकार हो सकते हैं।

टीबीआई की गंभीरता प्रभाव के बल, चोट के स्थान और व्यक्ति के समग्र स्वास्थ्य जैसे कारकों पर निर्भर करती है। 'अभिघातजन्य मस्तिष्क चोटों' की महामारी विज्ञान: भारतीय परिदृश्य' शीर्षक वाले एक लेख के अनुसार, टीबीआई भारत और अन्य विकासशील देशों में रुग्णता, मृत्यु दर, विकलांगता और सामाजिक-आर्थिक नुकसान का एक प्रमुख कारण है। अनुमान है कि भारत में हर साल लगभग 15 से 20 लाख लोग घायल होते हैं और दस लाख लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं। सड़क यातायात की चोटें (60%) टीबीआई का प्रमुख कारण हैं, इसके बाद गिरना (20%-25%) और हिंसा (10%) हैं।

टीबीआई का शुरुआत में निदान न हो पाना संभव है खासकर यदि लक्षण हल्के हों या चोट के कोई स्पष्ट लक्षण न हों। कुछ मामलों में, टीबीआई स्थायी मस्तिष्क क्षति का कारण बन सकता है, खासकर यदि चोट गंभीर हो या मस्तिष्क में रक्तस्राव या सूजन जैसी जटिलताएँ हों। हल्के टीबीआई (मस्तिष्क आघात) वाले रोगियों को केवल निगरानी और अवलोकन की आवश्यकता हो सकती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लक्षण बिगड़ न जाएँ। इसमें आगे कहा गया है, "चोट लगने के बाद, खासकर शुरुआती 24 से 48 घंटों में, तंत्रिका संबंधी स्थिति, महत्वपूर्ण संकेतों और संज्ञानात्मक कार्य की बारीकी से निगरानी जरूरी है।" विशेषज्ञों का कहना है कि टीबीआई के दीर्घकालिक परिणामों में संज्ञानात्मक कमजोरियाँ (जैसे याददाश्त की समस्याएँ), भावनात्मक और व्यवहारिक बदलाव (जैसे अवसाद, चिंता), शारीरिक अक्षमताएँ, और आगे चलकर जीवन में तंत्रिका-क्षयकारी रोगों का खतरा बढ़ जाना शामिल है।

THE GIST



इस उपकरण का उपयोग अभिघातजन्य मस्तिष्क चोटों (टीबीआई) के लिए किया जाएगा और यह एक मिनट के भीतर अंतःकपालीय रक्तस्राव और सूजन का पता लगा सकता है।



उन स्थितियों में एक विकल्प के रूप में पेश किया गया जहाँ सीटी या एमआरआई स्कैन जैसे उन्नत नैदानिक उपकरण अनुपलब्ध या विलंबित हैं, CEREBO रंग-कोडित, विकिरण-मुक्त और लागत प्रभावी परिणाम प्रदान करता है।



यह संभव है कि टीबीआई का आरंभ में निदान न हो पाए, विशेषकर यदि लक्षण हल्के हों या चोट के कोई स्पष्ट चिह्न न हों।

बिना किसी अनुवाद गलती वाला संस्करण फ्री में पढ़ने के लिए अभी 8168305050 पर संपर्क करें।